

लोकअदालत

सत्र-2019

मुद्रत सं.-

आदेश फलक :-

शिवाय नाम सं.

486/2017

दृ प्र० सं. 107

ईडवरी मसाफ क्रनाम जगरतायास्ट+2

वाद लग्भित अन्तर्गत न्यायालय

अमृतपुर दारिका करि सदूरमेहनार

प्रकार की विधि

आदेश एवं न्यायालय का हस्ताक्षर

अधिकारी

23.2.19

उभय पक्ष अनुपस्थित। अभिलेख का अवलोकन किया।

तिविधि वाद में नोटिस देने के बावजूद भी दोनों पक्ष

उपस्थित नहीं हुए हैं। इससे प्रतित होता है कि दोनों

पक्षों को इस वाद में कोई अभिरुची नहीं है और न

शान्ति भंग होने की कोई संभावना प्रतित होता है। अतः

अभिरुची के अभाव में इस वाद की अग्रतर कार्रवाई लोक

अदालत के माध्यम से समाप्त की जाती है।

सदस्य  
सदस्य 23.02.2019

सदस्य